15 (U)

संख्या–1501 /XVII–2/21–19(05) 2019

प्रेषक,

एल॰फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **देहरादून: दिनांक 22 दिसम्बर,2021**

विषयः–किसान पेंशन योजना की दर में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2109/स॰क॰/पेंशन/2021–22 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–922/XVII-2/14–01(18)/2014 दिनांक 04 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या–727/XVII-2/16–39(विविध)/2002–TC दिनांक 27 मई, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, किसान पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदत्त दर ₹1000/–प्रतिमाह में ₹200/–प्रतिमाह की दर से वृद्धि कर ₹1200/–प्रतिमाह प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार बढ़ाई गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 04 अगस्त, 2014 एवं दिनांक 27 मई, 2016 एवं अन्य सम्बन्धित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त की अन्य शर्ते/प्रतिबंध यथावत् बने रहेंगे।

Asst. dir. (Lapan)

यह आदेश वित्त विभाग के अशा॰प॰सं॰–246(म॰)/XXVII(3)/2021 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Dir. R.1124 7/01/22

भवदीय,
22/12/21
(एल॰फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 1501 /XVII–2/21–19(05) 2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2–वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰मुख्यमंत्री को मा॰मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, उत्तराखण्ड।

4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5– अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)
8–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)
9–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10–निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)
12–वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
13–गार्ड फाईल।

22/12/21

(एल॰फैनई)
प्रमुख सचिव।